56

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या–14/अ0प्र0–14–68/2025 2883 /पटना, दिनांक– 5.3.26

अवर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 5558 दिनांक 26.05.2025 द्वारा कार्य प्रमंडल, सहरसा अन्तर्गत एम0एम0जी0एस0वाई0 के तहत धर्मपुर से सिरसिया पथ में कराये गये निर्माण कार्य के भुगतान हेतु समर्पित परिवाद पत्र के जॉच हेतु मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय समिति का जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि संवेदक सुरेश साह द्वारा स्वीकृत आरेखन से अलग हटकर 1.01 कि0मी0 लम्बाई सड़क बनाने के बजाय अन्यत्र 240 मी0 में पथ बनाया गया। जिस कारण संवेदक श्री साह का भुगतान हेतु दावा अमान्य करने की अनुशंसा की गयी है। एकरारीत शर्त्तों तथा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के प्रावधानों के तहत संवेदक सुरेश साह पर कार्रवाई किये जाने हेतु अनुशंसा की गयी।

संवेदक Suresh Sah (Registrarion No.1230183) Add:- S/O:-Maletari Sah, Kharagpur, Ward No.:-11, Kharagpur, Saharsa, Bihar, Pincode:- 852106 को कार्य प्रमंडल, गोगरी के अधीन MMGSY योजनान्तर्गत धर्मपुर से सिरसिया तक पथ का निर्माण कार्य आवंटित किया गया था। एकरारनामा संख्याः– 07SBD/2021-22 के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि–24.08.2020 एवं कार्य समप्ति की तिथि 23.08.2021 थी।

अवर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राप्त अनुशसां के आलोक में विभागीय पत्रांक 12816 दिनांक दिनांक 19.12.2025 द्वारा संवेदक Suresh Sah (Registrarion No.1230183) से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

संवेदक Suresh Sah (Registrarion No.1230183) द्वारा दिनांक 14.02.2026 को समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य सहरसा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि MMGSY योजनान्तर्गत धर्मपुर से सिरसिया पथ में कराये गये निर्माण कार्य के भुगतान हेतु संवेदक सुरेश साह द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण में Independent Engineer एवं प्रयोगशाला के रिपोर्ट का जिक्र किया गया है, जो संवेदक द्वारा पथ के गलत आरेखन पर कराये गये कार्य का है। संवेदक अपने एकरारनामा के अनुसार पथ आरेखन पर कार्य नहीं किए है। इस संबंध में संवेदक द्वारा अलग–अलग पदाधिकारियों के पास विगत दो वर्षो से अलग–अलग आवेदन देते रहें है। इनके आवेदन पर अधीक्षण अभियंता द्वारा दिनांक 04.11.2022 को जॉच किये गया, जिसमें पथ में कार्य नहीं करने का रिपोर्ट दिया गया है। पुनः विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना मे पत्रांक 2003 दिनांक 23.11.2022 के आलोक में त्रिसदस्यीय जॉच कमिटि अधीक्षण अभियंता के अध्यक्षत में गठित हुई, उक्त समिति ने भी सही पथ आरेखन पर कार्य नहीं करने का रिपोर्ट दिनांक 09.12.2022 को दिया है।

पुनः विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–12 दिनांक 29.04.2024 के आलोक में गठित चार सदस्यीय जाँच कमिटि मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण की अध्यक्षत में गठित की गयी, जिसका जॉच रिपोर्ट दिनांक 24.04.2025 को दिया गया। जिसमें स्पष्ट है कि सुंवेदक श्री सुरेश साह द्वारा स्वीकृत आरेखन पर कार्य नहीं किया गया।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं कंडिका 11(ख) (ii) के आलोक में संवेदक Suresh Sah (Registrarion No.1230183) Add:- S/O:-Maletari Sah, Kharagpur, Ward No.:-11, Kharagpur, Saharsa, Bihar, Pincode:- 852106 के निबंधन संख्याः–1230183, PAN No. CPIPS4168A को अगले 03 (तीन) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

02.03.26
(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–68/2025 2883 /पटना, दिनांक– 5.3.26

निबंधित

प्रतिलिपि– संवेदक Suresh Sah (Registrarion No.1230183) Add:- S/O:-Maletari Sah, Kharagpur, Ward No.:-11, Kharagpur, Saharsa, Bihar, Pincode:- 852106को सूचनार्थ प्रेषित।

02.03.26
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–68/2025 2883 /पटना, दिनांक– 5.3.26

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.03.26
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–68/2025 2883 /पटना, दिनांक– 5.3.26

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

02.03.26
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–68/2025 2883 /पटना, दिनांक– 5.3.26

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.03.26
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–68/2025 2883 /पटना, दिनांक–5.3.26

Website

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

02.03.26
अभियंता प्रमुख